रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3618] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 7, 2019/ कार्तिक 16, 1941
No. 3618] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 7, 2019/ / KARTIKA 16, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2019

का.आ. 4018(अ).—सेवाओं या लाभों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान-दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है:

और, भारत सरकार में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है) भारत में कृषि और संवर्गी वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है) को सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित केंद्रीय सेक्टर स्कीमें (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीमें कहा गया है) चला रहा है और इन्हें विभिन्न उच्चतर कृषि संस्थाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित कर रहा है।

i. विज्ञान निष्णात और डॉक्टर ऑफ फिलॉस्फी के लिए भारतीय कृषि सांख्यिकीय अनुसंधान संस्थान छात्रवृत्ति ।

ii. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जेआरएफ)

iii. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ज्येष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (एसआरएफ)

iv. कृषि शिक्षा'-मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति।

v. कृषि शिक्षा-राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रतिभा छात्रवृत्ति।

vi. कृषि शिक्षा-राष्ट्रीय पूर्व स्नातक प्रतिभा छात्रवृत्ति।

vii. कृषि शिक्षा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

viii. कृषि शिक्षा विद्यार्थी रेडी (ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना)।

ix. पशुचिकित्सा विज्ञान निष्णात और डॉक्टर ऑफ फिलॉस्फी (पीएचडी) के लिए भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान छात्रवृत्ति।

x. विज्ञान निष्णात और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी और राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान छात्रवृत्ति।

xi. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान छात्रवृत्ति।

xii. केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान छात्रवृत्ति।

और, ये स्कीमें लाभार्थियों को नकद रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभ कहा गया है) सीधे या कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सहायता प्रदान करती हैं।

और, पूर्वोक्त स्कीमों में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित हैं।

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(1) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार का अधिप्रमाणन पूर्ण करें।

(2) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यष्टि को, जिसके पास आधार नहीं है या जिसने अभी तक आधार के नामांकन नहीं कराया है, **24.11.2019**, तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) में जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग से अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, ऐसे लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा है जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि संबंधित ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं उपबंध करा सकेगा।

परंतु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन लाभार्थी को आधार समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए लाभ दिया जाएगा, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथा-निर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज-

(i) बैंक पासबुक फोटो सहित; या

(ii) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र; या

(iii) राशन कार्ड; या

(iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड (पैन); या

(v) पासपोर्ट; या

(vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस) या

(vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सरकारी पत्र-शीर्ष पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो सहित पहचान प्रमाण-पत्र; या

(viii) विभाग द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से पदनामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2 स्कीम के सहज और निर्बाध लाभ उपलब्ध कराने के लिए, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:-

(1) इस स्कीम के अधीन लाभार्थियों को आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने के लिए व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें **24.11.2019** तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जाए। उन्हें स्थानीय आधार नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाए।

(2) यदि, ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केंद्र की अनुपलब्धता के कारण लाभार्थी आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और लाभार्थियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उप-पैरा (3) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों के संबंधित अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेबपोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध रजिस्टर करवा सकते हैं।

(3) यदि, स्कीम के अधीन लाभार्थियों ने आधार के लिए नामांकन करा लिया है तथापि, किसी कारण से आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करके यूआईडीएआई के नामांकन और अद्यतन ग्राहक के द्वारा "मेरा आधार सर्च करें" सुविधा प्रदान करेंगे और लाभार्थियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे आधार संख्या को साझा करने, परिचालित करने या प्रकाशित करने पर प्रतिबंध के संबंध में उक्त अधिनियम और उसके अधीन बने विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, लाभार्थी के आधार को सर्च करने के लिए अभीष्ट ऑपरेटर के पास अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर, अंगुलियों की छाप और अन्य ब्यौरे देकर सहायता मोड में अपना आधार सर्च करें।

3. ऐसे सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो निम्नलिखित अपवाद क्रियाविधि अपनाई जाएगी, अर्थात :-

(क) यदि अंगुलियों की छाप खराब क्वालिटी की है तो प्रमाणीकारण के लिए आईआरआईएस स्केन की सुविधा अपनाई जाएगी, जिसके लिए विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से अपनी सेवा प्रदाता एजेंसी से, निर्बाध रीति से लाभों के परिदान के लिए अंगुलियों की छाप के स्केनर सहित आईआरआईएस स्केनर के लिए उपबन्ध करेगा;

(ख) यदि लाभार्थियों में वरिष्ठ नागरिकों की अंगुलियों की छाप या आईआरईएस प्रमाणीकरण में कठिनाई हो तो चेहरे का प्रमाणीकरण किया जाएगा और विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों या ऐसे लाभार्थियों के लिए चेहरे के प्रमाणीकरण के लिए यथासंभव व्यवस्था करेगा, जिनके प्रमाणीकरण के लिए अन्य तरीके विफल हो गए हों;

(ग) यदि अंगुलियों की छाप या आईआरआईएस या चेहरे के प्रमाणीकरण के जरिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है तो जहां कहीं भी संभव और अनुमत्य हो, यथास्थिति, सीमित समय की विधिमान्यता के साथ आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या टाइम आधारित वन टाइम पासवर्ड (टीओटीपी), की सुविधा दी जाए;

(घ) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या ओटीपी या टीओटीपी प्रमाणीकरण संभव न हो, वहां मूल आधार पर पत्र के आधार लाभ दिया जाए, जिसका प्रमाणीकरण आधार पत्र पर छपे क्यूआर कोड से सत्यपित किया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सेवा परिदान केंद्र पर क्यूआर कोड रीडर प्रदान करेगा ताकि वह ई-आधार पर आधार पत्र पर छपे

क्यूआर कोड को पढ़ सकेगा जो ऑफ लाइन तरीके से आधार कार्ड की प्रमाणिकता का सत्यापन करने की अनुमति देता है और क्यूआर कोड यूआईडीएआई द्वारा विकसित सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर के द्वारा पढ़ा जा सकेगा क्योंकि यह आधार धारक के डिजीटल हस्ताक्षरित विवरण प्रदान करता है। ऐसे सभी मामलों में लाभों या सेवा को इस प्रयोजन के लिए बनाए गए अपवाद क्रियाविधि रजिस्टर में इस संव्यवहार को सम्यक् रूप से दर्ज करके प्रदान किया जाएगा और विभाग द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से इसकी आवधिक समीक्षा और लेखा परीक्षा की जाएगी। इन रजिस्टरों का रखरखाव और आवधिक निरीक्षण अपवाद क्रियाविधि का एक अनिवार्य घटक होगा।

4. यह अधिसूचना जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं कृषि शिक्षा-17-7/2016-प्र.एवं का.]

ए. आर. सेनगुप्ता, उप सचिव (ई. एंड आई.सी.)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE

(Department of Agricultural Research and Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2019

S.O. 4018(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Agricultural Research and Education (hereinafter referred to as the Department) under Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare in the Government of India is administering the following Central Sector Schemes (hereinafter referred to as the Schemes) to provide aid to the students in the field of agriculture and allied sciences research and education (hereinafter referred to as the beneficiaries) and implemented through various Higher Agricultural Institutions in India (hereinafter referred to as the Implementing Agencies):

i. Indian Agricultural Statistical Research Institute Scholarship for Master of Science and Doctor of Philosophy

ii. Indian Council of Agricultural Research Junior Research Fellowship

iii. Indian Council of Agricultural Research Senior Research Fellowship

iv. Agricultural Education Merit-Cum-Means Scholarship

v. Agricultural Education National Talent Scholarship for Post Graduates

vi. Agricultural Education National Talent Scholarship for Under Graduates

vii. Agricultural Education Post Matric Scholarship

viii. Agricultural Education Student READY (Rural Entrepreneurship Awareness Development Yojna)

ix. Indian Veterinary Research Institute Scholarship for Master of Veterinary Science and Doctor of Philosophy

x. National Dairy Research Institute Scholarship for Master of Science and Doctor of Philosophy

xi. Indian Agricultural Research Institute Scholarship

xii. Central Institute of Fisheries Education Fellowship

And whereas, the Schemes provide aid in the form of cash (hereinafter referred to as the benefit) directly to the beneficiaries or through the Implementing Agencies;

And whereas, the aforesaid Schemes involve recurring expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

(1) Every beneficiary desirous of availing the benefits under the Schemes is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Every beneficiary desirous of availing the benefits under the Schemes, who does not possess an Aadhaar or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by **24.11.2019,** provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Department of becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiary, benefits under the Schemes shall be given to such beneficiaries subject to production of the following documents, namely: –

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) any one of the following documents:

(i) Bank passbook with photograph; or

(ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or

(iii) Ration Card, or

(iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or

(v) Passport; or

(vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or

(viii) any other documents specified by the Department;

Provided further, that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Schemes, the Department through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by **24.11.2019,** in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries of the Schemes are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres within near vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers along with other documents as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

(3) in case, the beneficiaries under the Schemes have enrolled for Aadhaar, however, are not able to produce Aadhaar number for any reason whatsoever, the Department through its Implementing Agencies shall provide "*Search My Aadhaar*" facility through UIDAI's Enrolment and Update Client by facilitating Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to search their Aadhaar in assisted mode by giving their names, addresses, mobile numbers, finger prints and other details, with the operator required to search beneficiary's Aadhaar, subject to the provisions of the said Act and regulations made thereunder with respect to restriction on sharing, circulating or publishing of Aadhaar number.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan facility shall be adopted for authentication, thereby the Department shall through its Implementing Agencies make provisions for IRIS scanners along with finger print scanners for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case of difficulty in fingerprints or IRIS authentication of senior citizens of the beneficiaries, face authentication, shall be used. The Department through its Implementing Agencies shall make arrangements for face authentication wherever feasible, for those senior citizens or those beneficiaries whose other modes of authentication fail;

(c) in case of biometric authentication through finger prints or IRIS or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One-Time Password (TOTP) with limited time validity, as the case may be, shall be preferred;

(d) in all other cases where biometric, OTP or TOTP authentication is not possible, services or benefits may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the QR code printed on the Aadhaar letter. For this, the Department through its Implementing Agencies shall provide QR code readers at point of service delivery to read QR code printed on Aadhaar letter or E-Aadhaar which allows verifying the authenticity of Aadhaar card in an offline manner. This QR code shall preferably be read through Secure QR code reader developed by UIDAI as it provides digitally signed details of Aadhaar Holder. In all such cases the benefit or service may be provided after duly recording the transaction in the exception handling register made for this purpose, which is to be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agencies responsible for implementation of the Schemes. Maintenance of these registers and periodic inspection shall be an essential component of exception handling mechanism.

4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories Administrations, except the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. Agril.Edn.17-7/2016-A&P]

A. R. SENGUPTA, Dy. Secy. (E & IC)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2019

का.आ. 4019(अ).—सेवाओं या लाभों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान-दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है), कृषि और संवर्गी वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिकों और संकाय-सदस्यों (सेवारत और सेवा निवृत्त) को (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है) भारत में विभिन्न उच्चतर कृषि संस्थानों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित केंद्रीय सेक्टर स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीमें कहा गया है।) कार्यान्वित कर रहा है:

i. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् मानद प्राध्यापक

ii. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् मानद वैज्ञानिक

iii. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् राष्ट्रीय प्राध्यापक और राष्ट्रीय अध्येता

और, स्कीम में नकद रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभ कहा गया है) सीधे या कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से वैज्ञानिकों और संकाय सदस्यों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है;

और, पूर्वोक्त स्कीमों में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित हैं।

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(1) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार का अधिप्रमाणन पूर्ण करें।

(2) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार नहीं है या जिसने अभी तक आधार के नामांकन नहीं कराया है, **24.11.2019**, तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हों और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) में जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग से अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, ऐसे लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा है जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि संबंधित ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं उपबंध करा सकेगा।

परंतु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन लाभार्थी को आधार समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए लाभ दिया जाएगा, अर्थात:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथा-निर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित कोई भी दस्तावेज-

(i) बैंक पासबुक फोटो सहित; या

(ii) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र; या

(iii) राशन कार्ड; या

(ix) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड (पैन); या

(x) पासपोर्ट; या

(xi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस) या

(xii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सरकारी पत्र-शीर्ष पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो सहित पहचान प्रमाण-पत्र; या

(xiii) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से पदनामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2 स्कीम के सहज और निर्बाध लाभ उपलब्ध कराने के लिए, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:-

(1) इस स्कीम के अधीन लाभार्थियों को आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने के लिए व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें **24.11.2019** तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जाए। उन्हें स्थानीय आधार नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाए।

(2) यदि, ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केंद्र की अनुपलब्धता के कारण लाभार्थी आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और लाभार्थियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उप-पैरा (3) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों के संबंधित अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेबपोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध रजिस्टर करवा सकते हैं।

(3) यदि, स्कीम के अधीन लाभार्थियों ने आधार के लिए नामांकन करा लिया है तथापि किसी कारण से आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करके यूआईडीएआई के नामांकन और अद्यतन ग्राहक के द्वारा "मेरा आधार सर्च करें" सुविधा प्रदान करेंगे और लाभार्थियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे आधार संख्या को साझा करने, परिचालित करने या प्रकाशित करने पर प्रतिबंध के संबंध में उक्त अधिनियम और उसके अधीन बने विनियमों के उपबन्ध के अध्यधीन, लाभार्थी के आधार को सर्च करने के लिए अभीष्ट ऑपरेटर के पास अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर, अंगुलियों की छाप और अन्य ब्यौरे देकर सहायता मोड में अपना आधार सर्च करें।

3. ऐसे सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो निम्नलिखित अपवाद क्रियाविधि अपनाई जाएगी, अर्थात् :-

(क) यदि अंगुलियों की छाप खराब क्वालिटी की है तो प्रमाणीकारण के लिए आईआरआईएस स्केन की सुविधा अपनाई जाएगी, जिसके लिए विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से अपनी सेवा प्रदाता एजेंसी से, निर्बाध रीति से लाभों के परिदान के लिए अंगुलियों की छाप के स्केनर सहित आईआरआईएस स्केनर के लिए उपबन्ध करेगा;

(ख) यदि लाभार्थियों में वरिष्ठ नागरिकों की अंगुलियों की छाप या आईआरईएस प्रमाणीकरण में कठिनाई हो तो चेहरे का प्रमाणीकरण किया जाएगा और विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे वरिष्ठ

नागरिकों या ऐसे लाभार्थियों के लिए चेहरे के प्रमाणीकरण के लिए यथासंभव व्यवस्था करेगा, जिनके प्रमाणीकरण के लिए अन्य तरीके विफल हो गए हों;

(ग) यदि अंगुलियों की छाप या आईआरआईएस या चेहरे के प्रमाणीकरण के जरिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है तो जहां कहीं भी संभव और अनुमत्य हो, यथास्थिति सीमित समय की विधिमान्यता के साथ आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या टाइम आधारित वन टाइम पासवर्ड (टीओटीपी), की सुविधा दी जाए;

(घ) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या ओटीपी या टीओटीपी प्रमाणीकरण संभव न हो, वहां मूल आधार पर पत्र के आधार लाभ दिया जाए, जिसका प्रमाणीकरण आधार पत्र पर छपे क्यूआर कोड से सत्यपित किया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सेवा परिदान केंद्र पर क्यूआर कोड रीडर प्रदान करेगा ताकि वह ई-आधार पर आधार पत्र पर छपे क्यूआर कोड को पढ़ सकेगा जो ऑफ लाइन तरीके से आधार कार्ड की प्रमाणिकता का सत्यापन करने की अनुमति देता है और क्यूआर कोड यूआईडीएआई द्वारा विकसित सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर के द्वारा पढ़ा जा सकेगा क्योंकि यह आधार धारक के डिजीटल हस्ताक्षरित विवरण प्रदान करता है। ऐसे सभी मामलों में लाभों या सेवा को इस प्रयोजन के लिए बनाए गए अपवाद क्रियाविधि रजिस्टर में इस संव्यवहार को सम्यक् रूप से दर्ज करके प्रदान किया जाएगा और विभाग द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से इसकी आवधिक समीक्षा और लेखा परीक्षा की जाएगी। इन रजिस्टरों का रखरखाव और आवधिक निरीक्षण अपवाद क्रियाविधि का एक अनिवार्य घटक होगा।

4. यह अधिसूचना जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. कृषि शिक्षा-17-7/2016-प्र.एवं का.]

ए. आर. सेनगुप्ता, उप सचिव (ई. एंड आई.सी.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2019

S.O. 4019(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Agriculture Research and Education (hereinafter referred to as the Department) under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in the Government of India is administering the following Central Sector Schemes (hereinafter referred to as the Schemes) to provide aid to the Scientists and Faculty in the field of Agriculture and Allied Sciences Research and Education (In-service and Retired) (hereinafter referred to as the beneficiaries) and implemented through various Higher Agricultural Institutions in India (hereinafter referred to as the Implementing Agencies):

i. Indian Council of Agricultural Research Emeritus Professor

ii. Indian Council of Agricultural Research Emeritus Scientist

iii. Indian Council of Agricultural Research National Professor and National Fellow

And whereas, the Schemes provide aid to the Scientists and Faculties in the form of cash (hereinafter referred to as the benefit) directly or through the implementing agencies;

And whereas, the aforesaid Schemes involve recurring expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:

1. (1) Any individual desirous of availing the benefits under the Schemes is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under the Schemes, who does not possess an Aadhaar or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 24-11-2019**,** provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Department becoming Unique Identification Authority of India (UIDAI) Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Schemes shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely: –

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) any one of the following documents:

(i) Bank passbook with photograph; or

(ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or

(iii) Ration Card, or

(iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or

(v) Passport; or

(vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or

(viii) any other documents as specified by the Department:

Provided further that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Schemes, the Department through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 24-11-2019, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries of the Schemes are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres within near vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers along with other documents as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

(3) in case, the beneficiaries under the Scheme have enrolled for Aadhaar, however, are not able to produce Aadhaar number for any reason whatsoever, the Department through its Implementing Agencies shall provide "*Search My Aadhaar*" facility through UIDAI's Enrolment and Update Client by facilitating Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to search their Aadhaar in assisted mode by giving their names, addresses, mobile numbers, finger prints and other details, with the operator required to search beneficiary's Aadhaar, subject to the provisions of the said Act and regulations made there under with respect to restriction on sharing, circulating or publishing of Aadhaar number.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan facility shall be adopted for authentication, thereby the Department shall through its Implementing Agencies make provisions for IRIS scanners along with finger print scanners for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case of difficulty in fingerprints or IRIS authentication of senior citizens of the beneficiaries, face authentication, which may be launched soon by UIDAI, shall be used. The Department through its Implementing Agencies shall make arrangements for face authentication wherever feasible, for those senior citizens or those beneficiaries whose other modes of authentication fail.

(c) in case of biometric authentication through finger prints or IRIS or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One-Time Password (TOTP) with limited time validity, as the case may be, shall be preferred;

(d) in all other cases where biometric, OTP or TOTP authentication is not possible, services or benefits may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the QR code printed on the Aadhaar letter. For this, the Department through its Implementing Agencies shall provide QR code readers at point of service delivery to read QR code printed on Aadhaar letter or E-Aadhaar which allows verifying the authenticity of Aadhaar card in an offline manner. This QR code shall preferably be read through Secure QR code reader developed by UIDAI as it provides digitally signed details of Aadhaar Holder. In all such cases the benefit or service may be provided after duly recording the transaction in the exception handling register made for this purpose, which is to be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agencies responsible for implementation of the Schemes. Maintenance of these registers and periodic inspection shall be an essential component of exception handling mechanism.

4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories Administrations, except the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. Agril.Edn.17-7/2016-A&P]

A. R. SENGUPTA, Dy. Secy. (E & IC)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.09 11:37:54 +05'30'